संख्याः 444/XVIII(1)/06-255(प्रकोष्ट)/2006

प्रेषक,

राधा रतूड़ी, ,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति कल्याण, उत्तरांचल,
देहरादून।

ज कल्याण, नियोजन प्रकोष्ठ।

देहरादून: दिनांक 08 मई, 2006

विषय : ट्राईबल सब प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास की योजना हेतु वर्ष 2006-07 के लिए धनराशि का आबंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय ट्राईबल सब प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास की योजना हेतु रू. 529.67 लाख (रूपये पांच करोड़ उनतीस लाख सड़सठ हजार मात्र) की धनराशि वर्ष 2006-07 में व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उक्त धनराशि सलग्नक-1 की जनपदवार फांट के अनुसार जिला समाज कल्याण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाये, जो शासनादेश संख्या-296/XVII(1)/06-255(प्रकोष्ट)/2005, दिनांक 27 मार्च, 2006 के प्रस्तर-12 के अनुसार योजना स्वीकृति के उपरान्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त धनराशि आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायेंगे।

3- योजना का संचालन शासनादेश संख्या-296/XVII(1)/06-255(प्रकोष्ट)/2005, दिनांक 27 मार्च, 2006 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा इस सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

4- उक्त आबंटित धनराशि किसी ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका बजट मैनुयल के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाये।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुये नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय नई मदों में कदापि नही किया जायेगा। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।

6- स्वीकृत की जा रही धनराशि की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।

7- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2006-07 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4225-अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-आयोजनागत- 800-अन्य व्यय- 03-अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास- 00-" के मानक मद- "24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जाएगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 92/XXVII(3)/2006, दिनांकः 06 मई, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

सलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

संख्या:– 444 (1)/XVII(1)/06–255(प्रकोष्ठ)/2005/तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
8. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरांचल।
9. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
10. निदेशक, एन. आई. सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

1474 / XVII(1)/ 06-253(प्रकोष्ठ)/ 2005, दिनांक 20 मई, 2006 का

संलग्नक–1

(धनराशि लाख रु. में)

क्र.सं.	जनपद का नाम	अनु.जनजाति की जनसंख्या	जनपदवार धनराशि की फांट
I	II	III	IV
1	उत्तरकाशी	2,685	5.61
2	चमोली	10,484	21.89
3	रूद्रप्रयाग	186	--
4	टिहरी गढ़वाल	691	--
5	देहरादून	99,329	207.43
6	पौड़ी गढ़वाल	1,594	3.33
7	पिथौरागढ़	19,279	40.26
8	बागेश्वर	1,943	4.06
9	अल्मोड़ा	878	--
10	चम्पावत	740	--
11	नैनीताल	4,961	10.36
12	ऊधमसिंह नगर	1,10,220	230.17
13	हरिद्वार	3,139	6.56
	योग	**2,56,129**	**529.67**

(रुपये पांच करोड़ उनतीस लाख सड़सठ हजार मात्र)

(राधा रतूड़ी)
सचिव।